Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

ललित भाटी बनाम हेमन्त भाटी

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 304 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21-08-2024	वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 व्य प्र सं. का जवाब प्रतिवादी के अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य प्र सं. का जवाब वादी पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहता। बहस उक्त प्रार्थना-पत्रों पर उभयपक्ष की सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी की ओर से आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 व्य प्र सं. का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजूदा वाद के वादी ललित कुमार भाटी का निधन दि. 04.11.20 को हो चुका है और प्रार्थना-पत्र में वर्णित 1/1 चन्द्रा भाटी पत्नि स्व. श्री ललित कुमार भाटी, 1/2 कौस्तुभ सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री ललित कुमार भाटी, 1/3 चक्रपाणी भाटी पुत्र स्व. श्री ललित कुमार भाटी एवं 1/4 सिद्धार्थ भाटी पुत्र स्व. श्री ललित कुमार भाटी, समस्त निवासीयान- 480/28, गोआ कॉलोनी, भजन गंज, अजमेर-305001 को बतौर वादी पक्षकार बनाया जाऐ। वादी द्वारा एक अन्य आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 व्य प्र सं. प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुऐ वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से जवाब आवेदन पत्र दि. 25.02.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया जा चुका है और ललित भाटी की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके वारिसान 1/1 लगायत 1/4 है। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के वादी ललित कुमार भाटी की मृत्यु दिनांक 04.11.2020 को होना बताई गई है और यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तुत किया गया है, जो 90 दिवस के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, परन्तु 90 दिवस के पश्चात् 60 दिवस पूर्ण होने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया था। दि. 04.11.2020 को वादी की मृत्यु कोरोना काल में हुई थी, इसलिऐ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत उक्त आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 व्य प्र सं. एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य प्र सं. स्वीकार किये जाकर मृतक वादी ललित कुमार भाटी के उक्त वारिसान को 1/1 चन्द्रा भाटी पत्नि स्व. श्री ललित कुमार भाटी, 1/2 कौस्तुभ सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री ललित कुमार भाटी, 1/3 चक्रपाणी भाटी पुत्र स्व. श्री ललित कुमार भाटी एवं 1/4 सिद्धार्थ भाटी पुत्र स्व. श्री ललित कुमार भाटी के रूप में वाद–पत्र एवं प्रतिवाद–पत्र में पक्षकार बनाया जाकर वाद में कार्यवाही किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वाद शीर्षक एवं विरचित किये जाने विवाद्यक हेतु दि. ..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए